



इटवा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 19.09.2023



अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार,

कब्जे से 01 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में इकदिल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में आज दिनांक 18.09.2023 को थाना इकदिल पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी, इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर वाद संख्या 118/20 धारा 457/380 भादवि के वारंटी अभियुक्त विश्वनाथ उर्फ वी0पी0 सिंह पुत्र घनश्याम सिंह को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस सहित इकदिल ओवर ब्रिज के नीचे सर्विस रोड से 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 219/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विश्वनाथ उर्फ वी0पी0 सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी कस्बा व थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 219/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 31/2021 धारा 3/10 गुण्डा अधि0 थाना इकदिल जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 236/19 धारा 393 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 323/21 धारा 380/457/511 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 410/21 धारा 380/457/411 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 03/22 धारा 411/420 भादवि थाना पछायगांव जनपद इटावा।
6. मु0अ0सं0 77/21 धारा 382/411 भादवि थाना पछायगांव जनपद इटावा।
7. मु0अ0सं0 219/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 मोटरसाइकिल पल्सर UP 80 GH 0661

पुलिस टीम:- निरीक्षक श्री दीपक कुमार प्रभारी थाना इकदिल, उ0नि0 कासिफ हनीफ, का0 अजय सिंह, का0 बृजेन्द्र कुमार, का0 जुबैर अख्तर।